किस्म मुकदमा : राजस्व

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 111/2022 राजस्व अपील

1. रामेश्वर पुत्र श्री प्रसादी जाति मीना निवासी ग्राम सीकरी तहसील सिकराय जिला दौसा।

<u>अपीलान्ट</u>

<u>बनाम</u>

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा।

<u>रेस्पोडेन्ट</u>

(<u>अपील विरूद्व निर्णय निर्णय दिनांक 28.01.2022 न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा अन्तर्गत मुकदमा नम्बर 325/2021 उनवानी प्रकरण उनवानी सरकार बनाम रामेश्वर अतर्गत धारा 91 राज. लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>)

उपस्थिति : श्री उम्मेद सिंह गुर्जर, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

दिनांक: 25.06.2024

:- निर्णय :-

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का सीकरी द्वारा एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय की गई कि अपीलान्ट ने भूमि खसरा नम्बर 782 रकबा 0.02 है. किस्म चरागाह वाके ग्राम सीकरी तहसील सिकराय पर सम्वत 2078 में अनाधिकृत रूप से कब्जा काश्त कर अतिचार किया है। अपीलान्ट को कोई सुनवाई व सबूत का मौका दिये बिना गलत आधारों पर अपीलान्ट को धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत दोष सिद्ध किया जाकर बेदखली व 50 गुना लगान व 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का निर्णय दिनांक 28.01.2022 पारित कर दिया, जिससे व्यथित होकर यह अपील अपीलान्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब कर अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं न्याय की सामान्य प्रक्रियाओं के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की विधिवत तामील हुये बिना झूंठी तामील मानकर एवं अपीलान्ट की अनुपस्थिति दर्ज कर अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना तथा पटवारी हल्का से जिरह का अवसर दिये बिना ही प्रश्नगत निर्णय पारित किया है, जो कि निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे अपीलान्ट का कब्जा प्रमाणित होता हो। अपीलान्ट की खातेदारी भूमि के लगता हुआ खसरा नम्बर 782 है लेकिन अपीलान्ट द्वारा खसरा नम्बर 782 के एक इंच भू भाग पर भी अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलान्ट ने हल्का पटवारी [illegible] सीमाज्ञान

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:09:11 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

करवाने हेतु कहा लेकिन पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान भी नहीं करवाया गया, बल्कि झूंठी रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई। अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश का सीधा सादा व्यक्ति है, जिसको उक्त प्रकरण में निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी। अपीलान्ट द्वारा जरिये अधिवक्ता शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपील में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 782 रकबा 0.02 है. वाके ग्राम सीकरी तहसील सिकराय पर अपीलान्ट शपथकर्ता का आज दिन कोई कब्जा व अतिक्रमण नहीं है एवं उक्त वर्णित भूमि पर से अपीलान्ट शपथकर्ता ने अपना कब्जा हटा लिया है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पटवारी हल्का पीपलकी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट अतिक्रमी द्वारा ग्राम सीकरी में स्थित भूमि खसरा नंबर 782 रकबा 0.02 है. किस्म चरागाह पर पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना अंकित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर निर्णय दिनांक 28.1.2022 पारित कर अपीलान्ट अतिकमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल कर लगान का 50 गुणा शास्ति कायम कर 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट अतिक्रमी द्वारा राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 782 रकबा 0.02 है. किस्म चरागाह पर पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है, किन्तु अपीलान्ट द्वारा शपथ पेश कर उक्त प्रश्नगत भूमि से अतिक्रमण हटा लिया जाना व किसी भी सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं होना व्यक्त किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट इस आशय के साथ आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि ग्राम सीकरी तहसील सिकराय स्थित भूमि खसरा नम्बर 782 रकबा 0.02 है. पर से अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण हटा लिया जाने एवं अपीलान्ट का किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं होने बाबत् प्रस्तुत शपथ पत्र उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा सत्यापित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.01.2022 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा स्थिति में सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश दिनांक 28.01.2022 यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्र एवं अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:09:11 IST
Reason: SelfAttested

(सुमित्रा पारीक)
अति. जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 25.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुमित्रा पारीक)
अति. जिला कलक्टर ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official